BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 26 नवम्बर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जोगेन्द्र, देवेन्द्र पुत्रगण ओमवीर व ओमवीर पुत्र बुद्धप्रकाश निवासीगण मौ0 देवीपुरा थाना कोतवाली नगर द्वारा वर्ष-2014 में हरेन्द्र की ईट पत्थर मार-मार कर हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-402/2014 धारा-302 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 26-11-2022 को मा0 न्यायालय, एडीजे-06 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त जोगेन्द्र, देवेन्द्र व ओमवीर को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री राजीव कुमार मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर